B-3 & 4
L- 17
Ethics

वस्तुनिष्ठता

- वस्तुनिष्ठता सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण आधार भूत मूल्य है।
- नोलन कमेटी के अनुसार "सार्वजनिक नियुक्तियों करने, संविदाओं को स्वीकृति देने किसी व्यक्ति विशेष को पुरस्कार, लाभ या कार्यों की संस्तुति करने आदि के क्रम में निर्णय लेते समय तथ्यों साक्ष्यों एवं योग्यताओं को आधार बनाना चाहिए।

आशय है कि उन्हें मनमाने तरीके से निर्णय और कार्य नहीं करने चाहिए। मामले के गुण दोष को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना चाहिए।

- वस्तुनिष्ठता के व्यवहारिक आयाम :-

(i) वस्तुनिष्ठता के कारण निर्णय और कार्य में पारदर्शिता आती है इससे यह पता लगाने में आसानी होती है कि निर्णय क्यों लिया गया और किसी आधार पर लिया गया।

निर्णयों के कारणों का उल्लेख होने से संदेह का वातावरण हटता है।

(ii) वस्तुनिष्ठता की अवधारणा जवाबदेहिता से भी संबंधित है। जब प्रशासनिक अधिकारी अपने निर्णयों एवं कार्यों के लिए समुचित आधार

बताने में असमर्थ होते हैं तो फिर उन्हें उन कार्यों से उत्पन्न परिणामों के लिए जवाबदेह माना जाता है इस रूप में वस्तुनिष्ठता की अवधारणा भ्रष्ट आचरण पर रोक लगाती है।

- सरकारी अधिकारियों का निर्णय और कार्य व्यक्तिगत हित से प्रभावित नहीं होना चाहिए जहाँ तक हो सके प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य और सेवा के लिए मानक और दिशानिर्देश होना चाहिए और व्यक्तिगत स्तर पर उनमें फेरबदल की गुंजाइस नहीं होनी चाहिए ऐसा करने से निर्णयों में निष्पक्षता आती है एवं पारदर्शिता बढ़ती है।

वस्तुनिष्ठता को सुनिश्चित करने के उपाय :-

- गुण दोष को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाये। महत्वपूर्ण कार्यों एवं सेवाओं के लिए मानक एवं दिशा निर्देश आधारित हो
- जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए।
- E-गवर्नेंश को बढ़ावा दिया जाए।

नियंत्रण ← वस्तुनिष्ठा → बढ़ावा	
- मनमानापन	- पारदर्शिता
- भ्रष्टाचार पर	- जवाबदेहिता
- भाई-भतीजावाद	- सुशासन की स्थापना
- पक्षपात	- निष्पक्षता
-	- गैर तरफदारी

भेदभाव रहितता :- निष्पक्षता

- यह सिविल सेवा का एक आधार भूत मूल्य है।

- इसका आशय है कि एक सिविल सेवक को जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, भाषा, स्थान एवं संपत्ति आदि के आधार पर आम जनता के साथ भेद भाव नही करना चाहिए उसे सबके साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार करना चाहिए।

लोक सेवक में निष्पक्षता होने पर ही वह सरकार की नीति एवं योजनाओं को ध्यान में रखकर कुशलता पूर्वक एवं प्रभावी रूप से लागू करेगा। ऐसा होने पर ही सरकार एवं लोक सेवकों के प्रति जनता का विश्वास बढ़ता है और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जनसहभागिता को बढ़ावा मिलता है।

लोक पदाधिकारियों से यह आशा की जाती है कि वे प्रशासनिक कार्य संविधान के दायरे में रहकर करेंगे।

- प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब उनके निर्णय और कार्य स्वविवेक पर आधारित होते हैं। ऐसी स्थिति में उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना कार्य निष्पक्षता पूर्वक सम्पन्न करे। वे भाई भतीजावाद या स्वार्थ हित के बजाय ऐसा

निर्णय ले और कार्य करें जो सार्वजनिक हित की वृद्धि में सहायक हो और सार्वजनिक मूल्यों को बढ़ावा दे।

लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे समानता स्वतंत्रता न्याय और बंधुत्व आदि को साकारित करने के लिए लोक सेवकों का निष्पक्ष होना आवश्यक है।

गैर तरफदारी

- यह सिविल सेवा का एक आधार भूत मूल्य है।
- लोक सेवक व्यक्तिगत रूप से चाहे जिस राजनीतिक विचारधारा, दल या नेता को पसंद या नापसंद करे उसे प्रशासनिक क्रियाकलापों के सम्पादन के क्रम में इनकी तरफदारी नही करनी चाहिए। उन्हे किसी राजनीतिक दल या नेता के पक्ष में कोई अनुचित कार्य नही करना चाहिए। उन्हें अपना कार्य गैर-राजनीतिक ढंग से करना चाहिए जैसे उन्हें किसी राजनीतिक दल को चंदा नही देना चाहिए उन्हे किसी राजनीतिक दल के धरना या प्रदर्शन आदि कार्यक्रमों में शामिल नही होना चाहिए।

लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रशासनिक अधिकारियों में गैर-तरफदारी का होना आवश्यक है।

- लोकतंत्र में चुनाव के आधार पर सरकार का गठन किया जाता है। चुनाव के क्रम में कई बार वर्तमान सरकार का स्वरूप

परिवर्तित हो जाता है। यह परिवर्तन शान्तिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से हो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारी की भी होती है ऐसी स्थिति में आवश्यक है वे राजनीतिक तटस्थता का पालन करें।

अपनी पसंद या नापसंद के आधार पर चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित न करे बल्कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, नैतिक तथा भयमुक्त चुनाव में मदद करें।

- सरकार का गठन अपने पसंद के विपरीत होने पर भी उन्हें सरकार के प्रति सहयोग करना चाहिए। कुल मिलाकर उन्हे अपना काम गैर-राजनीतिक ढंग से संचालित करना चाहिए।

- यदि कोई लोकसेवक नियम व कानून के दायरे में रहकर किसी राजनीतिक दल या नेता की सिफारिश पर कार्य करता है तो इसे गैर-तरफदारी का उल्लंघन नही माना जायेगा

- यदि नियम व कानून का उल्लंघन करके किसी कार्य को करने के लिए कहा जाए तो फिर उन्हे विनम्रतापूर्वक दृढ़ता के साथ इनकार कर देना चाहिए और इसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख कर देना चाहिए।

सिविल सेवकों को राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा मांगे जाने पर निष्पक्ष एवं निर्भीक सलाह देनी चाहिए।

- सिविल सेवा आचरण नियमावली में सिविल सेवकों को राजनीतिक तटस्थता का पालन करने हेतु अनेक निर्देश दिये गये हैं। जैसे- उन्हें राजनीतिक दलों की गतिविधियों जैसे- धरना, प्रदर्शन आदि में शामिल नही होना चाहिए। प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने और गैर तरफदारी को बढ़ावा देने के लिए २०१५ मे उच्चतम न्यायालय ने एक सिविल सेवा बोर्ड बनाने की सिफारिश भी की ताकि प्रशासनिक अधिकारियों के मनमाने तरीके से ट्रांसफर एवं पोस्टिंग आदि को रोका जा सके।